न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 107/2009

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. पुसाराम पुत्र भंवरलाल		1. देवाराम पुत्र रूपाराम
2. मोकली पत्नी पूसाराम		2. मोहनलाल पुत्र रूपाराम
जातियान–जाट, निवासी–बांजाकुड़ी,		3. श्यामलाल पुत्र रूपाराम
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		4. सोहनलाल पुत्र रूपाराम
		जातियान– कुमावत
		5. लक्ष्मणराम पुत्र लादूराम
		6. चम्पालाल पुत्र लादूराम
		7. धर्माराम पुत्र लादूराम
		जातियान – बावरी,
		निवासीगण–बांजाकुड़ी
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.30.07.2009

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 15/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–बांजाकुड़ी, तहसील–जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही प्रथम की आई हुई है। नकल चालू जमाबंदी इस वाद–पत्र के साथ पेश की है। इस आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से वाद में निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रतिवादिगण का इस विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण का मौके पर न तो इस आराजी पर कोई कब्जा व काश्त है, न ही राजस्व रेकर्ड में उनका कोई नाम ही दर्ज है। प्रतिवादीगण पूर्णतया अजनबी व्यक्ति हैं। वादीगण की इस आराजी के खसरा नम्बर 343 की और आम रास्ता आया हुआ हैं, जो खसरा नम्बर 250 गैर मुमकिन रास्ते से जुड़ा हुआ हैं। इस रास्ते व वादीगण की भूमि के बीच किसी भी व्यक्ति का कोई वैधानिक हक अधिकार आदि नहीं हैं। फिर भी जबरदस्ती प्रतिवादीगण लाठी लकड़ी के बल पर वादीगण की इस विवादित पर काबिज होकर के अपने बाड़े बनाने को अमादा है। वादीगण की इस विवादित आराजी के चारो और खान्दक बनी हुई हैं, जिस पर रास्ते की और प्रतिवादीगण ने बाड़े कायम करने की चेष्ठा की है व नापचौप को लेकर विवादित किया। तब वादिगण ने तहसीलदार, जैतारण के समक्ष दिनांक 16/06/2009 को अपनी आराजी का नापचोप करवाकर सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार, जैतारण के आदेश के माफिक हल्का पटवारी बांजाकुड़ी ने दिनांक 02/07/2009 को इस विवादित आराजी का नापचौंप कर खसरा नम्बर 325 की आराजी का सीमाज्ञान करवाया व रूबरू प्रतिवादीगण के पत्थरगढी भी करवाई मुडडे कायम करवाकर रूकवाये गय बादम सीमाज्ञान के खडे मुड्डो की फोटोग्राफी इस वाद–पत्र के साथ पेश की हैं। विवादित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आराजी का सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण नही मान रहे है एंव उन्होने मौके पर रोपे गये मुइडो को उखाड़ दिया हैं व जबरदस्ती विवादित आराजी के रासते की और स्थित खान्दक को तोड़कर अपने बाड़े बनाने आमादा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कुर्तसत प्रयास किये जाने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 11/07/2009 को एक लिखित रिपोर्ट भी पेश की है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नही मान रहे है व जबरदस्ती अपना कब्जा बतौर अतिक्रमी के वादीगण की आराजी पर जमाने को अमादा हैं। अगर प्रतिवादीगण लाठी लकड़ी के बल पर विवादित आराजी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो वादीगण अपनी साम्पैतिक आराजी से हमेशा के लिये वंचित हो जायेंगे व वादीगण को असीम क्षती होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण के अवैध रूप से कब्जा करने की कार्यवाही का विरोध करेंगे, जिससे विवाद बढेगाा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वाद-पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 04/07/2009 को प्रतिवादीगण द्वारा रोपे गये मुइडे पाइ लेने व उसके बाद दिनांक 09/07/2009 को विवादित आराजी पर वादीगण के काश्त के मुताबिक कार्य में दखलंदाजी करने पर मुकाम-बांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने वकालतनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने जबाब दर0 पेश नहीं करने पर वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र 08 नियम 1 व 151 सीपीसी के तहत् पेश किया गया। वकील वादीगण ने जबाबदावा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। वकील प्रति0 जबाब दर0 पेश करने हेतु समय चाहा गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी में पेश हुई। चूँकि वादीगण राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार हैं। जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही प्रथम की भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला:पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. पुसाराम पुत्र भंवरलाल		1. देवाराम पुत्र रूपाराम
2. मोकली पत्नी पूसाराम		2. मोहनलाल पुत्र रूपाराम
जातियान-जाट, निवासी-बांजाकुड़ी,		3. श्यामलाल पुत्र रूपाराम
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		4. सोहनलाल पुत्र रूपाराम
		जातियान- कुमावत
		5. लक्ष्मणराम पुत्र लादूराम
		6. चम्पालाल पुत्र लादूराम
		7. धर्माराम पुत्र लादूराम
		जातियान - बावरी,
		निवासीगण-बांजाकुड़ी
		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:107/2009

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बांजाकुड़ी, तहसील-जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 325 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही प्रथम की भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	09	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner